388

492

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्ड रीवा म0प्र0

R. 2432 - II/12

1- जमुना प्रसाद
2- जवाहर लाल
तनय सुखराज हरिजन निवासी ग्राम दामोदर गढ़ तह0 हनुमना जिला रीवा म0प्र0

..... आवे0/ निगराकार

बनाम

1- शासन म0प्र0

2- राम लल्लू तनय रामनिहोर पटेल निवासी गाम दामोदर गढ़ तह0 हनुमना जिला रीवा म0प्र0 .... अना0/ गैर निगराकार गण

निगरानी विरूद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर रीवा के प्र.क्र. 220/अ-3(निग.)/2009-10 मे पारित आदेश दिनांक 10.7.12

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू. राजस्व संहिता सन् 1959 ई0

संक्षिप्त तथ्य

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न है :-

1- यह कि ग्राम दामोदर गढ़ तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0 की आराजी खसरा क्रमाक 1336/2ग के भूमि स्वामी आवेदक / निगराकार गण है, जो वर्ष 1975 मे शासन म0प्र0 से बंटनमे प्राप्त कर काश्त करते चले आ रहे है, और उक्त आराजी की फसल पर आवेदक व उनका परिवार आश्रित है ।

2- वर्ष 2006-07 के दौरान अनावेदकक्रमाक -2 हल्का पटवारी से मिलकर बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश ही नक्शा तर्मीम करा लिया और आवेदक गण के स्वामित्व एव कब्जे की उपजाऊ भूमि अपने स्वामित्व व कब्जे मे करा लिया

क्र...2

XXXIX(a)-BR(H)-11

388

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–2432-II** / 12 जिला–रीवा

जमुना प्रसाद / शासन, रामलल्लू

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बी0एल0 सूर्यवंशी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 220 / अ–3 / निग0 / 2009–10 में पारित आदेश दिनांक 10.07.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	